

# कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

फ्रॉमाक:- य-15( )आरपीए/जन/कार्टिज/2022/ ५९४७

दिनांक:- २९/०६/२०२२

## खुली निविदा सूचना

संस्था के समर्त प्रिन्टर हेतु नई कार्टिज की वांगिक दर संविदा हेतु मोहर वन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा सूचना [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पोर्टल एवं [www.rpa.rajasthan.gov.in](http://www.rpa.rajasthan.gov.in) वेबराइट पर देखी जा सकती हैं।

क्र. सं.	आईटम	अनुगमित राशि (लाख)	वयाना राशि रु.	निविदा फार्म मूल्य	निविदा खोलने की तिथि
1.	विभिन्न प्रिन्टरों हेतु कार्टिज	2.50 लाख	5000/-रु	500.00 रु	08.07.2022

### निविदा शर्तेः—

1. निविदा विहित निविदा प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी, निविदा प्रपत्र आरपीए, जयपुर (सामान्य शाखा) से निर्धारित शुल्क (वैकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट) जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदायें मोहर वंद लिफाफे में जिस पर रैप्ट रूप से कार्य का नाम लिखा हो दिनांक 08.07.2022 दोपहर 1.00 बजे तक या इससे पूर्व कार्यालय समय में आरपीए, जयपुर (सामान्य शाखा/विड वॉक्स) में जमा करायी जा सकती हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 08.07.2022 को 03.30 पी.एम. पर क्रेता समिति द्वारा उपरित्त निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
3. वयाना राशि के बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदा के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
5. निविदा के साथ नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. जो निविदाएँ निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जायेगी या विहित उपर्युक्त दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होगी उन पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. निविदा शर्ते जी.एफ.एण्ड ए.आर. रूल्स एण्ड आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार मान्य होगी।
8. क्रय समिति को किसी भी निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

Rajeev

निदेशक,  
राजस्थान पुलिस अकादमी,  
जयपुर।

### प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को तीन दिवस तक आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करायें एवं अखबार की दो प्रति इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करायें।
2. समर्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीनरथ जिलों के ठेकेदारों को सूचित करने का श्रम करें।
3. सहायक निदेशक (प्रशासन) एवं नोडल अधिकारी आर.पी.ए. जयपुर।
4. लेखाधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा sppp पोर्टल ([www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in)) एवं [www.rpa.rajasthan.gov.in](http://www.rpa.rajasthan.gov.in) वेबराइट पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवं शर्तों के अपलोड करवाना सुनिश्चित करायें।
6. प्रभारी सीडीपीएसएम/स्टेशनरी/कैशियर, आर.पी.ए. जयपुर।
7. नोटिस वोर्ड, आर.पी.ए. जयपुर।

Rajeev

निदेशक,  
राजस्थान पुलिस अकादमी,  
जयपुर।

# कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

क्रमांक:- व-15( )आरपीए/जन/कम्प्यूटर/2021

दिनांक:-

निविदा प्रारूप

वित्तीय विड (देखिए नियम 68)

निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि  
08.07.2022 समय 01.00 बजे तक।  
निविदा खोलने की अन्तिम तिथि  
08.07.2022 साथ 03.30 बजे।

1. संस्था के समरत प्रिन्टरों हेतु नई कार्ट्रिज की वार्षिक दर संविदा हेतु निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का रथाई पता, ई-मेल एवं मोबाइल नं० .....

बोलीदाता का :- पैन नं. ....

जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं. ....

3. किसको सम्बोधित की गयी—निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. सन्दर्भ :-
5. निविदा शुल्क की राशि रु 200/- वैकर चैक/वैंक डिगान्ड ड्रापट सं. .... दिनांक ..... के द्वारा जमा करा दी गई है।
6. निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा दी गई निविदा सूचना संख्या.....दिनांक ..... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों के हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों में वाध्य होना स्वीकार करते हैं।
7. कार्य का विवरण एवं स्पेशिफिकेशन परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।
8. निविदाएं तकनीकी विड व वित्तीय विड अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी विड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय विड खोली जावेगी।
9. कार्य की मात्रा वास्तविक मांग अनुसार घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।
10. वैंक ड्रापट/वैंकर्स चैक सं .....दिनांक.....द्वारा राशि रुपये 5000/- वयाना राशि के पेटे जमा करवाई गई।
11. इसके साथ जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
12. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र एस.आर. 11 में संलग्न है।
13. निविदा शर्त मेरे द्वारा देख ली गयी है तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए गये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

## नई कार्ट्रिज की वार्षिक दर संविदा का विवरण एवं स्पेशिफिकेशन

क्र. सं.	Printer Make and Model	Cartridge No./MAKE	नई कार्ट्रिज (कर सहित)	
			दर (बिना जी.एस.टी.)	दर (जी.एस.टी. सहित)
1.	Samsung ML 3471DN	ML 3470 A/XIP		
2.	HP Laser Jet M1136 MFP	CC388A image/88 A/38 A		
3.	Samsung ML 2161	MLT D101S Image		
4.	Canon Image Class MF4750	388 Image/328		
5.	HP Laser Jet 1020 1005	12A Image/2612A		
6.	HP Laser Jet 1007	CC 388A		
7.	HP Laser Jet P1606dn	CE 388A/278A		
8.	Brother DCP-L2520D	TN-2365		
9.	Ricoh SP200	SP200/SP201/203/204/212/ 213		
10.	Canon LBP2900B	303 Image/2612A		
11.	Laser Jet MFP M427 fdn	CF 228A Image		
12.	Canon Image Class MF4750 dn	CE 278A Image		
13.	HP Laser Jet pro 500 Colour MFP M570 dn	CE 400A/CE401A/CE402A /CE403A		
14.	HP Laser Jet P2015	53A Image		
15.	Xpress M 288 OFW			
16.	Image Class Mf 4570 dn	78 Image/278A		
17.	HP M1606 dn	328 Image		
18.	HP Laser jet Pro MFP M227 fdw	30 A/32 A		
19.	Laser jet pro M203 DW	32A/30A		
20.	HP MFP M176n	350 A Set		
21.	KYOCERAVY99YO1909	ABS DV-1158		
22.	Kyocera M2640idw	TK-1178/Drum		
23.	HP Laser jetP 2015 dn	49A		
24.	HP Laser jet pro MF305 dn	77A		
25.	Conan image class MF 4220 D (Brother designed in japan)	Dr 235		
26.	SHARP-AR-6020 NV	MX-237 AT		
27.	Image class MF4320 d	2612 A		
28.	Brother HL-L2351DN	TN-2465/CN-2465		
29.	SHARP-MX-M315NV	A3MX 315 AT-BK-1-B		
30.	SAMSUNG-Xpress-M2880FW	MLT-D115L/Xip		
31.	biz Hub-206	ink		
32.	Color Laser jet PFP-M- 176N/350A	130A		
33.	Laser jet Pro MFP-329dw	77A		

- नोट - 1. दर अंकित करते समय सभी प्रकार के कर (जी.एस.टी. सहित) सम्मिलित कर आइटम वाईज एवं कुल कीमत पृथक-पृथक संबंधित कालम में कीमत अंकित करें। पृथक से अन्य कोई राशि देय नहीं होगी।  
 2. प्रिन्टर कार्ट्रिज सप्लाई आदेश से 03 दिवस में सप्लाई करना अनिवार्य है।

निविदा दाता के हस्ताक्षर

## खुली निविदा के लिए एवं संविदा की शर्तें

टिप्पणी : निविदाओं को इन शर्तों को सत्वधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए।

1. बोलीदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से तकनीकी एवं वित्तीय विड अलग-अलग मुहरवंद लिफाफों में प्रस्तुत की जानी होगी। तकनीकी रूप से सफल विडर की ही वित्तीय विड खोली जावेगी। तकनीकी रूप से अस्वीकृत विड पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. (अ) मूल विनिर्माता द्वारा निविदाएं:-
  - (i) बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार बोलिया संबंधित आईटम के मूल विनिर्माता एवम् उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसे विशेष रूप से विनिर्माता द्वारा अधिकृत किया गया है, द्वारा दी जाएँगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेट्स के संबंध में बोली के साथ संलग्न एस.आर. प्रारूप 11 में घोषणा पत्र भरकर उपलब्ध करवाया जावेगा एवं लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ दिये जायेंगे।
  - (ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के संबंध में उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ प्रस्तुत करवानी होगी।
- (ब) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आरक्षण:-
  - (i) किसी भी आईटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्म पात्र मानी जावेगी। जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त होना चाहिए।
  - (ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत विन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर वांछित शपथ पत्र बोली के साथ प्रस्तुत किये जावेंगे। जिसके अभाव में बोली निररत की जा सकती है।
  - (iii) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उधमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना के अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य रखरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, उनके द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि बोली के साथ मान्य रखरूपमें एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के विन्दु संख्या 11 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा।
  - (iv) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म,

लघु एवं गृह्यम् विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एवं क्रय अधिमान प्रदान किया जायेगा। लाग उन्हीं उद्यमों को देय होगा जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के विन्दु सं. 10 अनुसार निर्धारित प्रारूप 'ए' में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। राथ ही इन फर्मों द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग II/UAM एवं विन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(v) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को वोली प्रपत्र निर्धारित वोली प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर लागत पर उपलब्ध कराया जायेगा जबकि प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के विन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फर्म 'वी' के अनुसार शपथ पत्र वोली के साथ प्रस्तुत करने होंगे। इसके अभाव में वोली निरस्त कर दी जावेगी।

(vi) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन एवं उत्पाद की गुणवत्ता की जांच हेतु सुनिश्चित की जावेगी एवं उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जावेगा।

(vii) राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना केता अधिकारी को लिखित में निविदाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समर्त शर्तों को मानने के लिए वाध्य नहीं हो जाते एवं केताधिकारी को इस संबंध में लिखित इकारानामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्त स्वीकृति के लिए निविदा की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकर की गई किसी भागीदारी की रसीद उन सब को वाध्य करेगी तथा यह संविदा के किसी योजना के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिसचार्ज) होगा।

4. जीएसटी पंजीयन एवं आयकर शोधन प्रमाण-पत्र –

(i) कोई भी डीलर जो अपने व्यवसाय स्थल के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम/विक्रकर के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, वह वोली नहीं दे सकेगा। वोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाएगा। प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) वोलीदाता सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी के प्राप्त विकी कर शोधन प्रमाण-पत्र एवं आय कर चुकती प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जावेगा।

5. निविदा प्रारूप स्थानी से भरा जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। तथा अन्त में निविदा की समरत शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

6. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी इसमें कोई नुटि या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
7. बोली में दरें अंकित करते समय समस्त करों को शामिल करें तथा समरत प्रकार के करों की दरें पृथक से स्पष्ट करें।
8. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी प्रभारों को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रयासों सप्लाई के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए। सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा माल की सुपुर्दगी केता अधिकारी के परिसरों पर दी जायेगी।
9. विधि मान्यता:- निविदाएं उनके खोले जाने के दिनांक से RTPP नियम में उल्लेखित अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
10. निविदाता अपनी संविदा को या उनके किसी सारवान भाग की किसी अन्य एजेंसी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाड़े पर नहीं देगा।
11. निरीक्षण एवं परीक्षण :- प्रदाय जब भी प्राप्त किया जायेगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों/केटलॉग/डेमो के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हों वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण ग्रहों में कराया जायेगा। अनुमोदित नमूनों/केटलॉग/डेमो के अनुरूप नहीं होने पर सम्पूर्ण प्रदाय अथवा उसके अंश को रद्द कर दिया जायेगा। रद्द किये गये प्रदाय को बोलीदाता द्वारा उन्हें परिषद द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी रख्यां की लागत पर बदलना होगा।
12. रद्द किये गये सामग्री को प्रदायकर्ता 15 दिन की अवधि में हटा लेगा, इसके बाद विभाग किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
13. विभाग के प्राधिकृत अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्ता/ठेकेदार के परिसर में जायेगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसे भी हो किसी भी समय सामग्री का निरीक्षण एवं जांच करने की शवित रखेगा।
14. परीक्षण प्रभार :-परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किये जायेंगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता है या यदि परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित रत्तों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
15. नमूने:-अनुसूची में अंकित वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप में से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे नमूने यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाए तो कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद की जाएगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं, तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाना चाहिए तथा आर/आर या जी.आर.एफ. पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए/ केटरिंग/ खाद्य पदार्थों के नमूने प्लास्टिक वॉचर/पोलीथीन के थैलों में निविदाता के खर्च पर दिये जाने चाहिए।
16. प्रत्येक नमूने पर, उस पर या उस पर मजबूती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदाता का नाम मद की कम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाएंगे। नमूना के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
17. नमूने निकालना:-परीक्षण के मामले में निविदादाता भी उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपरिथिति में चार सेटों में नमूने लिए जायेंगे तथा उनकी उपरिथिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमें से एक रैट उन्हें दे दिया जाएगा, एक या दो सैटों

को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या सेट रान्डर्म एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।

18. रद्द करना :-

- (i) निरीक्षण या परीक्षण के दीर्घन या जो वरतुरुएँ अनुमोदित नहीं की जाएगी, उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता हारा ग्रय आदेश में निर्धारित रास्लाई अधिक में ही रवय की लागत पर उन्हें बदला जावेगा।
  - (ii) आपूर्ति किया गया गाल या आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरुद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।
  - (iii) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य नहीं समझा जावे तो विभागीय उपापन रामिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेंगे। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।
19. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अयोग्यता समझी जावेगी एवं ऐसे निविदादाता की निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
20. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी): निविदा के साथ निर्धारित रूपये की बयाना राशि प्रत्युत की जायेगी इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि निदेशक आर. पी.ए. जयपुर के पक्ष में वैक डिमाण्ड ड्राफ्ट/ वैकर्स चैक देय होगा।
21. बयाना राशि का सम्पहरण –बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में जल्द कर लिया जावेगा।
- (1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें परिवर्तन करता है।
  - (2) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता है।
  - (3) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है।
  - (4) जब वह निर्धारित समय के अन्तर्गत आदेशों के अनुसार सामग्री आपूर्ति करने में असफल रहता है अथवा संतोषजनक सेवाएं देने में असमर्थ रहता है।

22. करार एवं प्रतिभूति निषेप :-

- (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में रूपये 500/- मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर (जिसका व्यय रवय बोलीदाता हारा वहन किया जावेगा) एक करार-पत्र निष्पादित करना होगा तथा प्रावधित मूल्य जिसके लिए बोली रखीकार की गई है उसके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी।
- (ii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अर्थव्याप्ति राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, रवायत निकायों, रजिस्ट्रीकूट सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के रवायतिक या नियंत्रण या प्रवध में हों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के रिवायत समर्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उन्होंने एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या

उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादित प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

(iii) यदि सफल बोलीदाता उस आईटम के लिए राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जो उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो तो उस आईटम के लागत मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।

(vi) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न रुग्ण उद्योगों जिनके मामले औद्यौगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्हित हैं, के मामले में आइटम्स के लागत मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर होगी।

(2) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा व्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(3) प्रतिभूति राशि निम्न रूप में होगी—

(i) नकद / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक

(ii) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी।

(iii) अल्प बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र डिफेंस / सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र या कोई अन्य रिकॉर्ड / विलेख यदि इन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इस प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य सरेण्डर मूल्य पर रखीकार किया जायेगा।

23. प्रतिभूति राशि का सम्पहरण :— प्रतिभूति की राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में सम्पहरत किया जायेगा :—

(क) जब संविदा की किसी शर्त / अथवा शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति / कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को सम्पहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(घ) कार्य में असफल रहने पर परिषद द्वारा वैकल्पिक व्यवरथा किये जाने पर उसमें जो भी व्यय होगा बोलीदाता से उसकी प्रतिभूति राशि में से अथवा उसको देय बिल की राशि के भुगतान में से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या प्रवृत्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

24. सुपुर्दगी अवधि :—

(i) निविदादाता जिसकी निविदा रखीकार की जायेगी को विभाग द्वारा आवश्यकता एवं सुविधानुसार माल की सफ्लाई / अनुबंध का आदेश दिया जा सकेगा तथा निविदादाता द्वारा आदेशित माल / कार्य एवं मात्रा की सफ्लाई आदेश की तारीख से 03 दिवस की अवधि में करनी होगी।

(ii) यदि केता अधिकारी किन्हीं निविदा वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

25. परिसमाप्ति नुकसानी :— परिनिर्धारित क्षतियों के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उप स्टोर के मूल्यों के लिए की जायेगी जिनको निविदादाता सफ्ला करने में असफल रहा है :—

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत।

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु चिन्हित अवधि की आधी अवधि के लिए 5 प्रतिशत।

- (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु निहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि लिए 7.5 प्रतिशत ।
- (घ) निहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत ।
- (ङ.) यदि प्रदाय कर्ता किन्हीं वाधाओं वं कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो यह लिखित में आवेदन करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।
- (ट) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई वाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी ।
26. वसूली :—परिनिर्धारित क्षतियों कम सप्लाई, टूट फूट या रद्द की गई वस्तुओं/अनुबंध के लिए वसूली साधारण रूप से विल में से की जायेगी । कम सप्लाई टूट फूट, किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायक संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (एल.डी.) के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निषेक से की जायेगी । यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एकट या किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।
27. प्रदाय की जाने वाली सामग्री की दरें आदि का विवरण निविदा प्रारूप पर ही अंकित किया जावेगा । पृथक से अंकित कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी ।
28. रिस्क एण्ड कोस्ट परचेज :— निविदादाता द्वारा आदेशित माल एवं मात्रा की सप्लाई निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने पर विभाग द्वारा माल की खरीद रक्तानीय वाजार से निविदादाता की रिस्क एण्ड कोस्ट पर की जा सकेगी ।
29. निविदा के किसी भी भाग को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का विभाग को पूर्ण अधिकारी होगा ।
30. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा किया जाएगा जो अन्तिम होगा एवं समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर होगा ।
31. वित्तीय विड में दी गई आईटम वाईज टर के आधार पर न्यूनतम दरदाता फर्म की आईटमवार निविदा या एकजाई रूप में स्वीकार योग्य होगी । क्रय समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा ।
32. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे ।
33. सफल विडदाता आईटम सप्लाई अथवा उसके किसी हिस्से को किसी अन्य फर्म को Sublet नहीं करेगा ।
34. कार्य संतोषजनक नहीं होने पर 30 दिवस के नोटिस पर अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी ।
35. विड में अंकित दरें समस्त प्रकार के प्रचलित करों सहित होनी चाहिये । पृथक से कोई प्रभार देय नहीं है ।
36. न्यूनतम/सर्वाधिक लाभप्रद वोलीदाता का चयन आईटम वाईज या इकजाई रेट के आधार पर किया जावेगा । इस सम्बन्ध क्रय समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा ।
37. आईटम स्वीकार दर अंकों एवं शब्दों में ध्यानपूर्वक भरी जावें तथा कुल योग की गणना भी ध्यानपूर्वक की जावें । अंकों एवं शब्दों अथवा कुल योग की गणना में अन्तर होने की

स्थिति में आईटम की रेट अंकों एवं शब्दों में लिखी गई में से जो न्यूनतम होगी उसको अन्तिम गाना जावेगा।

38. दर संविदा के अधीन कीमत गिरने के खण्ड के अध्यधीन होंगी। कीमत गिरने संबंधी खण्ड, दर संविदा के निवधनों और शर्तों में सम्मिलित किया जायेगा। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा कियाविधि है और यह उपवंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालु रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्म या सेवाएं देने के लिए उसकी कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समर्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से खतः कम ढो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

39. गारन्टी :- बोलीदाता यह गारन्टी देगा कि उपकरण-सामग्री सुपुर्दगी एवं रथापित के दिनांक से..... वर्ष अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी, तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने सुपुर्द सामग्री को अनुगोदित कर दिया है, यदि निर्दिष्ट गारन्टी अवधि में आपूर्ति सामग्री गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पायी गयी तो क्रेता अधिकारी ऐसी सम्पूर्ण/आंशिक सामग्री को रद्द करने का हकदार होगा। ऐसी रद्द की गयी सामग्री विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा, माल आदि को रद्द करने से संबंधित समर्त उपबन्ध लागू होंगे। बोलीदाता को, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहां जाए, तो वह उस माल को या उसके किसी भाग को, जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है बदलना होगा, अन्यथा बोलीदाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी।

40. भुगतान :-

- (क) बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में लोक उपापन नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। सभी प्रेषण प्रणार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे। किसी भी सूरत में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (ख) विवादारपद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।
- (ग) उन मामलों में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाये तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित निर्देशों के अनुरूप हों।

41. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :-

- (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो “पार्टनरशिप डीड” की अनुप्रमाणित प्रति।
- (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
- (iii) एक मात्र स्थानिक व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
- (iv) कम्पनी के मामले में कागजी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।

42. किसी भी निविदा/विड को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।
43. राज्य से बाहर की फर्म की दरें न्यूनतम आने पर उस फर्म का राजस्थान में ब्रांच ऑफिस होना अनिवार्य है।
44. लेक लिरटेड फर्म की निविदाएं स्वीकार नहीं है।
45. निविदा प्रणाली RTPP Act – 2012, Rules – 2013 के अनुसार होगी।
46. तंग करने वाली अपीले या परिवादः— जो कोई भी किसी उपापन में विलम्ब कारित करने या उसे विफल करने या किसी उपापन संस्था या किसी अन्य बोली लगाने वाले को हानि कारित करने के आशय से इस अधिनियम के अधीन कोई तंग करने वाली, तुच्छ या द्वेषपूर्ण अपील या परिवाद दाखिल करता है, वह ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो राशि वीस लाख रुपये या उपापन के मूल्य के पांच प्रतिशत जो भी कम हो, तक का हो सकेगा।
47. प्रतिभूति निष्ठेप/कार्य सम्पादन प्रतिभूति:— सफलतम बोली लगाने वाले को कुल रकम का 5 प्रतिशत (जो कि 2 प्रतिशत अमानत राशि के अलावा देय होगी) अलग से धरोहर राशि के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा। अमानत राशि की रकम बाद में धरोहर राशि में समायोजित की जा सकती है।  
मैंने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्तें ध्यानन्दूर्वक पढ़ ली हैं। मैं/हम इनका निष्पादन करने के लिए बाध्य हैं।
48. बोलीदाता द्वारा विगत तीन वर्षों में कम से कम दो सप्लाई/कार्यानुभव किसी भी सरकारी विभाग/अनुक्रम में आपूर्ति करने का अनुभव होना चाहिए।

निविदादाता के हस्ताक्षर  
मय मुहर  
(निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण—स्वरूप)

### निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम/योनाफाइड चिनिर्माता/थोक विकेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट हूँ/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव वाले विना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सम्पह्यत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे रखीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर  
मय मुहर

पूर्ण पता—

टेलीफोन न.

### शपथ—पत्र

मैं.....

यह कि मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं है। और न ही किसी भी राजकीय विभाग/अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा पूर्व में व्लोक लिस्टेड/अमानत राशि जब्त कर निष्कासित किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर  
मय मुहर

पूर्ण पता—

टेलीफोन न.

# कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

(निविदा प्रपत्र-तकनीकी बिड)  
परिशिष्ट "अ"

## घोषणा

- विविध सामान सप्लाई के लिए निविदा।
- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम ..... घ  
डाक का पूर्ण पता .....  
दूरभाष एवं फैक्स नम्बर इमेल सहित .....  
.....
- निविदा जिसे प्रस्तुत करनी है :— निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
- सन्दर्भ :— निविदा सूचना संख्या :— दिनांक .....  
जो ..... (समाचार पत्र का नाम) दिनांक .....  
में प्रकाशित हुई है।
- निविदा शुल्क :— राशि रूपये ..... बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या  
दिनांक ..... द्वारा जमा करा दी गई है।
- हम निविदा सूचना संख्या ..... दिनांक ..... में वर्णित सभी शर्तों से तथा विभागीय शर्तों से संबंधित परिशिष्ट "स" में वर्णित शर्तों से वाध्य होना स्वीकार करते हैं परिशिष्ट "स" के समरूप पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को स्वीकार किये जाने के प्रमाण— रचरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा परिशिष्ट हस्ताक्षर शुदा संलग्न है।
- हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा निविदा सूचना में अंकित समयावधि में विविध सामान की सप्लाई कर दी जाएगी।
- हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्रस्तुत दरें, "तकनीकी बिड" में खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधि मान्य है।
- हमारा राजस्थान विक्री कर पंजियन जी.एस.टी. संख्या ..... है।
- हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेंगे, जिसके अभाव में निविदा निरस्त योग्य है।
- हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में निविदा निरस्त करने योग्य है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

S.No	Type Of Certificate & Other Informations	Yes/ No	Date Of Issue/ Validity
1.	Whether Tender Fee Document Is Submitted With Open Tender, Provide Details Banker Cheque/Dd No. ....Dt. ....		
2.	Whether EMD Document (Bid Security Declaration) Submitted With Open Tender Dt. ....Amount. ....		
3.	Whether Agreed With All Tender Conditions		
4.	Whether Bidder Status In S.R. For In - II Is Submitted With Open Tender		
5.	Whether GST Registration Certificate/Undertaking Is Submitted With Open Tender		
6.	Whether Pan Card Certificate Is Submitted With Open-Tender		

- हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रमाणित रूपन्तरण भी प्रस्तुत किया गया है।
- हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड हमारे द्वारा खुली-निविदा में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की गई है।

## नोट:-

1. क.संख्या (11) मे अंकित संलग्न दस्तावेजो को प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके आगे "Yes or 'No'" अंकित करना आवश्यक है इसका उत्तरदायित्व निविदादाता का है इसके अभाव मे निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

2. निविदा भरने की प्रक्रिया :-

(ए) तकनीकी विड के साथ समरत प्रमाण पत्र स्वं हस्ताक्षर उपरान्त निर्धारित राशि खुली-निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रस्तुत किये जावेंगे।

(बी) बोलीदाता को एक लिफाफे में तकनीकी विड जिसमे बोली के तहत मांगे गये डी.डी./बैंकर्स चैक, फार्म व हस्ताक्षर युक्त विड प्रपत्र तथा तकनीकी विड मे मांगे गये समरत दस्तावेज रखकर सीलबन्द करना होगा तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय विड में अपनी प्रस्तावित दरें निर्धारित परिशिष्ट मे भरकर इस लिफाफे को सीलबन्द करना होगा। तथा इन दोनों बन्द लिफाफे को एक तीसरे लिफाफे मे रखकर इसे सीलबन्द कर उस पर सम्बधित निविदा कार्य का नाम तथा बोलीदाता फर्म का नाम पता व दूरभाष/मोबाइल नम्बर लिखकर प्रस्तुत करना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

**Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and NoConflict of Interest** Any person participating in a procurement process shall –

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process.
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

**Conflict of Interest :-**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
  - a. have controlling partners/shareholders in common; or
  - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
  - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
  - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
  - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
  - f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
  - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

## **Annexure B : Declaration by the Bidder regarding qualifications**

**Declaration by the Bidder**

In relation to my/our Bid submitted to ..... for procurement of ..... in response to their Notice Inviting Bids No. ..... Dated ..... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act. 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date :

Place :

Designation :

Address :

Signature of bidder

Name :

## **Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process**

The designation and address of the First Appellate Authority is.....

The designation and address of the Second Appellate Authority is.....

### **(1) Filling an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluated the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

**(2)** The officer whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

**(3)** If the officer designated under para (1) fails to dispuse of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the first appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

### **(4) Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

- (A) Determination of need of procurement ;
- (B) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process ;
- (C) The decision of whether or not to enter into negotiations ;
- (D) Cancellation of a procurement process ;
- (E)Applicability of the provisions of confidentiality

### **(5) Form of Appeal**

- (A) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (B) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(C) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for filing appeal**

- (A) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (B) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque or a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

- (A) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (B) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
- (I) hear all the parties to appeal present before him; and
  - (II) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (C) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

**FORM No. 1**

(See rule 83)

Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012  
Appeal No-----of-----

Before the ----- (First/Second Appellate Authority)

i. A Bid

1. Particulars of appellant:

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Particulars of appellant:

- (i)
- (ii)
- (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action of omission of the Procuring Entity in contravention of the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal

6. Grounds of appeal : (supported by an affidavit)

7. Prayer -----

Place-----

Date -----

appellant's signature

## **AnnexureD: additional conditions of contract**

### **1. Correction of arithmetical errors**

Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial bids on the following basis:

- I. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price. In which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- II. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected and
- III. If there is discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be expected

### **2. Correction of arithmetical errors**

- (i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or Services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

### **3. Dividing quantities among more than one Bidder at time of award (In case of procurement of Goods)**

As general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured

from the Bidder, whose Bid is accepted. However When it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature. In such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lower Bidder or even more Bidder, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.